कार्यालय अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

आदेशांक--वा0क0अधि0/पू0पी0संशो0/ ---- /2020 दिनांक 17/12 दिसम्बर 2020

संशोधन आदेश

मुख्यालय के पूर्व आदेशांक--1826/2020 दिनांक 03.12.2020 द्वारा पूर्ण पीठ से संबंधित अपील संख्या--97/2002 सर्वश्री ओलम्पिक पेट्रो प्रोडक्टस लि0, बराल,परतापुर, मेरठ,जो मुख्यालय पर लम्बित है,के निस्तारण हेतु दिनांक 23.12.2020 को मुख्यालय पर पूर्ण पीठ का गठन किया गया है,जिसमें मेरे साथ न्यायिक सदस्य के रूप में श्री विनय सिंह, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ--प्रथम, लखनऊ एवं श्री राजेश कुमार जैन सदस्य,वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ--द्वितीय लखनऊ को नामित किया गया है।

श्री विनय सिंह,न्यायिक सदस्य पीठ--प्रथम,लखनऊ ने अपने पत्रांक--554/2020 दिनांक 16.12.2020 के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि उन्हें चिकित्सीय परामर्श हेतु दिनांक 23.12.2020 को नई दिल्ली जाना है। ऐसी स्थिति में दिनांक 23.12.2020 को मुख्यालय लखनऊ पर गठित पूर्ण पीठ में श्री विनय सिंह का सम्मिलित होना संभव नहीं है। अतः उनके स्थान पर किसी अन्य सदस्य को पूर्ण पीठ हेतु नामित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री विनय सिंह,न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण,पीठ--प्रथम, लखनऊ द्वारा प्रेषित पत्रांक--554/2020 दिनांक 16.12.2020 पर सम्यक विचारोपरान्त उनके स्थान पर श्री विजय कुमार ,सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण,पीठ--2,कानपुर को मुख्यालय पर दिनांक 23.12.2020 को गठित की गयी पूर्ण पीठ में सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

तद्नुसार संबंधित को सूचित किया जाये।

ह0--17.12.2020

(महताब अहमद)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या--वा0क0अधि0/पू0पी0संशो0/1955/2020 दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्यवाही हेतु प्रेषितः--

1--सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण,पीठ--प्रथम,लखनऊ।
2--सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण,पीठ--द्वितीय,लखनऊ।
3--सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण,पीठ--द्वितीय,कानपुर।
4--कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
5--राज्यप्रतिनिधि सम्बद्ध पूर्ण पीठ,लखनऊ।
6--प्रधानसहायक/वरिष्ठसहायक(यात्राभत्ता/विवरण/कम्प्यूटर/नाजिर,मुख्यालय।
7--संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव।

निबंधक
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।